संख्या-126/2021/2580/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के 01केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0113-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों के लोगो को सहायता (केन्द्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-163/ज0जा0वि0/लेखा/2021-22, दिनांक-25.08.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-0113-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों के लागों को सहायता (केन्द्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत) के मानक मद में रू0-100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गाे के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजि योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8) जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-0113-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सहायता (केन्द्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के मानक मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ0संख्या-126/2021/2580 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास) विभाग का नाम:–निदेशालय जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण पश्चात अनुदान / विनियोग (
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–00–01–0104 2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01– केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0104–संविधान के अनुच्छेद 275 (1) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	538.00	538.00	50.00	50.00	488.0
2225–02–796–00–15 2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–15–अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जनजातियों की सहायता (राज्यांश 100 प्रतिशत)					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	75.00	75.00	50.00	50.00	25.0
योग:–	**613.00**	**613.00**	**100.00**	**100.00**	**513.0**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याषित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण पश्चात उ अनुदान / ग(8+
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–01–0113 2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0113–अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जनजाति के लोगो की सहायता योजना (केन्द्रांश 50 / राज्यांश 50)					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	100.00	100.00	100.00	100.0
योग–	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.0**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–प्रश्नगत योजना में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु प्राविधान है, परन्तु जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकलव्य के संचालन हेतु सम्बन्धित धनराशि सीधे संस्था के संचालन हेतु गठित को सीधे स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप एवं संदर्भित योजना केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने कारण बचत हुयी है।

(2)–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में भारत सरकार द्वारा अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के लोगो को सहायता योजना (केन्द्रांश 50 / राज्यांश 50) के रूप में योजना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप सामाजिक न अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या–11014 / 15 / 2017–पीसीआर (डेस्क) दिनांक–28.01.2021 द्वारा कुल रू0–171.565 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, वित्तीय वर्ष 2021–22 के शेष माहों में रू0–100.00 लाख की धनराशि व्यय की संभावना को रखते हुये केन्द्रांश के रूप में रू0–50.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0–50.00 लाख की धनराशि कुल रू0–100.00 लाख है, परन्तु इस योजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में आय–व्ययक में प्राविधान न होने के कारण उक्त धनराशि रू0–100.00 लाख को पुनर्वि माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0 84–ई–4–1553–10–2021–2022 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)

उप सचिव

समाज कल्याण विभाग।

फूलचन्द यादव

अनु सचिव

वित्त विभाग।

Vimlesh sir Financial g.o

पृ0सख्या- 126/2021/2580 (1)/26-3-2021 तददिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सेंचान)
उप सचिव।